135 नवरत्न/मिनीरत्न लो उद्यम

1. चुने हुए उद्यमों को विश्व स्तरीय आकार देना–स्वायत्ता प्रदान करना है।

सरकार के न्यूनमत साझा कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ–साथ इस बात का उल्लेख है कि सरकार उन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की पहचान करेगी जिसके पास विश्च स्तरीय लोक उद्यम बनने के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएं हैं और जो स्वयं समर्थ हैं इन उद्देश्यों के अनुसरण में सरकार ने निम्निलखित दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हें अधिक स्वायत्ता प्रदान करने और शक्तियों का प्रत्यायोजन करने का निग्रय लिया है।

2. सरकार ने लाक उद्यमों के बोई को निम्नलिखित निर्णय लेने संबंधी प्राधिकार का प्रत्यायोजना करने का निर्णय लिया है:–

(i) किसी अधिकतम मौद्रिक सीमा के बिना नई मदों की खरीद या प्रतिस्थापन पर पूंजीगत व्यय करना ।

(ii) प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम या नीतिगत गठजोड़ स्थापित करना ।

(iii) प्रौद्योगिकी और तकनीकी जानकारी खरीदकर या अन्य तरीकों से प्राप्त करना।

(iv) संगठनको पुनर्गठित करना, लाभ अर्जित करने वाले केन्द्र स्थापित करना, भारत में और विदेश में कार्यालय स्थापित करना, नए क्रियाकलाप के केन्द्र स्थापित करना आदि।

(v) बोई स्तर से निचले स्तर के निदेशक अर्थात्प्रकार्यात्मक निदेशक, जिसे बोर्ड स्तर के निदेशक के समान वेतनमान प्राप्त होसकता है लेकिन वह बोर्ड का सदस्य नहीं होगा, के सभी पदों और उस स्तर तक के सभी पदों का सृजन और समाप्ति, इस स्तर तक की सभी नियुक्तियां इस बोर्ड की शक्तियों के अंतर्गत आएंगी और बोर्ड के आंतरिक स्थानांतरण और पदों को पुनरू नामनिर्दिष्ट करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।

(vi) कार्मिक और मानव संसाधन, प्रशिक्षण, स्वैच्छिक या अनिवार्य सेवानिवृत्ति स्कीम से संबंधित तैयार करना और उन्हें लागू करना।

(vii) घरेलू पूंजी बाजार से ऋण उठाना और उंतर्राष्ट्रीय बाजार से उधार लेना जो आवश्यकतानुसार भारतीय निजर्व बैंक/आर्थिक कार्य विभाग के अनुमोदन के अधीन होगा और यह अनुमोदन प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

(viii) इस अनुबंध के साथ वित्तीय संयुक्त उद्यम स्थापित करना और भारत अथवा विदेश में अपने स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित करना कि लोक उद्यम का इक्विटी निवेश निम्नलिखित तक सीमित रहेगा:

(1). किसी एक प्रोजेक्ट में 200 करोड़

(2). किसी एक प्रोजेक्ट में लोक उद्यम के निवल लाभ का 5 प्रतिशत

(3). सभी संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपरियों में कुल मिलाकर लोक उद्यमों के निवल लाभ का 15 प्रतिशत ।

3. आमतौर पर निवेश मूल लोक उद्यम द्वारा सीधे की जाती है, यदि किसी अन्य संयुक्त उद्यम में सहायक कंपनी के माध्यम से निवेश का प्रस्ताव है और इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई जानी है तो उपर्युक्त प्वाइंट (VIII–(2) और (3) में शामिल अनुबंध मूल कंपनी के संदर्भ में लागू होगा।

4. विभिन्न एजेंसियों में निहित निर्णय लेने की शक्तियों में लोक उद्यमों को प्रस्ताविक शक्तियों के प्रत्यायोजन को प्रभावी बनाने के लिए परिवर्तित किया जाएगा और आवश्यक होने पर संबंधित विभागों द्वारा नियमों, अधिसूचना, अनुदेशों, सस्था नियमावली/संगम ज्ञापन आदि में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे।

5. उपर्युक्त के लिए निम्नलिखित और दिशानिर्देशों का अनुपालन अवश्य किया जाएगा:–

(क) प्रस्ताव लिखित रूप में पर्याप्त रहते निदेशक मंउल को प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा उसके साथ प्रत्याशित परणामों और लाभों के संगत कारक और निर्धारक बातों का विश्लेषण भी दिया जाना चाहिए। यदि कोई जोखिम कारक हो तो उसे ध्यान में लाया जाना चाहिए।

(ख) जब भी बड़े निर्णय लिए जाएं सरकारी निदेशक, वित्त निदेशक और संबंधित प्रकार्यात्मक निदेशक का उपस्थित रहना अनिवार्य है विशेष तौर पर जब निर्णय निवेश, व्यय या संगठनात्मक पुनर्गठन पूंजी की पुनरू व्यवस्था के संबंध में लिए जाने हों।

(ग) ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय अधिमानतरू एकत्म से लिए जाने चाहिए।

(घ) यदि किसी महत्वपूर्ण मामले पर एकमत से निर्णय नहीं हो पता है तो बहुतमत से निर्णय लिया जा सकता है लेकिन कम से कम दो तिहाई निदेशक मौजूद होने चाहिए और इनमें वे भी शामिल हैं जिनका उल्लेख ऊपर कियागया है। आपत्तियों, विसम्मतियों और अस्वीकार करने के कारण और निर्णय लेने के कारणों को लिखित में दर्ज किया जाना चाहिए और उन्हें कार्यवृत्त में शामिल किया जाना चाहिए।

(ड़) सरकार पर वित्तीय सहायता देने या आकस्मिक देयता वहन करने का कोई दायित्व नहीं होना चाहिए।

(च) ये लोक उद्यम आंतरिक मॉनीटरिंग की पारदर्शी और प्रभावकारी प्रणाली स्थापित करेंगे तथा गैर–सरकारी निदेशकों की सदस्यता के साथ बोई की लेखा परीक्षा समिति स्थापित करेंगे।

(छ) ऐसे प्रस्ताव प्रोफेशनल और विशेषज्ञों द्वारा या उनके सहयोग से तैयार किए जाने चाहिए जो जूंजीगत व्यय, निवेश या अन्य मामलों, जिनमें अधिक वित्त या प्रबंध संबंधी वचनबद्धताएं शामिल हैं, से संबंधित हैं और जो लोक उद्यमों की संरचना और कार्यप्रणाली पर दूरगामी दुष्प्रभाव डाल सकते हैं और उपयुक्त मामलों में वित्तीय संस्थानों या लब्धप्रतिष्ठित उस विषय के विशेषज्ञ संगठनों से उनका मूलयांकन करवाया जाना चाहिए। वित्तीय मूल्यांकन को ऋण या इक्विटी भागीदारिता के माध्यम से मूल्यांकन करने वाली संस्थाओं को शामिल करके प्रमाणित भी करना चाहिए।

(ज) उपर्युक्त पैरा 2(ii) में यथा उल्लिखित प्रौद्योगिकीसंयुक्त उद्यम और नीतिगत गठबंधन करने के प्राधिकार समय–समय पर जारी सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रयोग किए जाएंगे।

(झ) लोक उद्यम विभाग के तारीख 22 जुलाई, 1997 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में किए गए उल्लेख के अनुसार बढ़े हुए प्राधिकार के प्रत्यायोजन के प्रयोग से पहले प्रथम कार्रवाई के रूप में गैर–सरकारी निदेशकों को शामिल करके इन लोक उद्यमों के बोर्ड को पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

(ट) लोक उद्यम बजटीय सहायता या सरकारी गारंटी पर निर्भर नहीं होंगे। उनके कार्यक्रमों को लागू करने के लिए संसाधन उनके आंतरिक संसाधनों या अन्य साधनों और पूंजी बाजार में प्राप्त होंगे।

6. यथा उपर्युक्त लोक उद्यमों के बोर्डों को स्वायत्ता प्रदान करने का कार्य सरकार द्वारा पहचान किए गए 9 उद्यमों तथा बी एच ई एल, बी पी सी एल, एच पी सी एल, आई ओ सी, आई पी सी एल, एन टी पी सी, ओ एन जी सी, एस ए आई एल और वी एस एनएल के संबंध में किया गया है।

7. प्रशासनिक मंत्रालय कृपया सरकारी निर्णय को इन उद्यमों की जानकारी में लाएं।

(लो.उ.वि. का. ज्ञा. सं. लो.उ.वि./11(2)/97–वित्त तारीख 22 जुलाई, 1997)